न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या–16/2017(अपील संख्या 27/2016)

1. महेन्द्र मेवाडा पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल मेवाडा जाति कलाल निवासी बिठ्ठल बस्ती, नेहरू गेट बाहर, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज0)
2. सुरेन्द्र मेवाडा पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल मेवाडा जाति कलाल निवासी बिठ्ठल बस्ती, नेहरू गेट बाहर, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज0) ..... **प्रार्थीगण**

बनाम

श्रीमती कमला पत्नी स्व. श्री कन्हैयालाल मेवाडा जाति कलाल निवासी ग्राम सेंदरिया तहसील, ब्यावर जिला अजमेर (राज) हाल निवासी–107, हीरा नगर, ए 200, फीट बाई पास, वैशालीनगर, जयपुर। .....**अप्रार्थीगण**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की सिविल रिट नं0 30/17 में प्रदत अधिकारों के तहत प्रस्तुत पुनिर्वलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–114 व 151 सपठित आदेश–47, नियम–1 सिविल प्रकिया संहिता व धारा 15 से 17 राजस्थान सरकार माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण नियम, 2007 विरूद्ध अपील सं0 27/2016 में पारित निर्णय दिनांक 14.9.2016

आदेश दिनांक :– 31.01.2018

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीया द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 22.6.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 आंशिक स्वीकार करते हुए " न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2016 को यथावत रखते हुए उसमें यह जोडा जाता है कि दोनो पुत्र (रेस्पोडेन्टस) अपनी माताजी (अपीलान्ट) के भरण पोषण हेतु रूपये 10,000/– 10,000/– रूपये प्रतिमाह (प्रत्येक पुत्र द्वारा) संदाय कर उनके बैंक खाते में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निश्चित रूप से जमा करावे " पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आक्षेपित आदेश दिनांक 14.9.2016 का पुनर्विलोकन कर इसे अपास्त किये जाने के निवेदन के प्रस्तुत किया गया।

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिया को नोटिस जारी किया गया तथा मूल पत्रावली संलग्न पत्रावली की गई। नोटिस द्वारा अप्रार्थिया की तलबी नहीं होने पर तलबी जरिये अखबार साया किये जाने पर उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। वरवक्त सुनवाई अप्रार्थिया के उपस्थित नहीं आने पर उपस्थित प्रार्थी0 को सुना गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

31/01/18

जिला कलक्टर
अजमेर

उपस्थित प्रार्थी महेन्द्र मेवाडा ने अपने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 14.9.2016 के द्वारा प्रार्थीगण को 10–10 हजार रूपये प्रतिमाह अप्रार्थी के बैंक खाते में जमा कराये जाने के आदेश प्रदान किये गयें है, जो कि प्रार्थीगण की आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक परिस्थितियों के सर्वथा विपरीत होने से पुनर्विलोकन योग्य है। प्रार्थी महेन्द्र मेवाडा ने आगे कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष पूर्व में भी स्पष्ट किया गया था कि प्रार्थीगण की कुल आय 40,000/– रूपये मासिक है, जिसमें प्रार्थीगण के परिवार में पत्नि, बच्चों सहित कुल 7 सदस्य है एवं प्रार्थी सुरेन्द्र मेवाडा मानसिक रोगी है जिसके इलाज में हजारों रूपये खर्च होता है। प्रार्थीगण की बहन संतोष मेवाडा जो कि एक चालाक किस्म की औरत जिसके द्वारा अप्रार्थीया कमला मेवाडा को विश्वास में लेकर दिनांक 25.1.2016 को 50 लाख की सम्पति का उपहार पत्र अपने नाम निष्पादित करवा लिया एवं फिर प्रार्थीगण के विरूद्ध अप्रार्थिया से भरण पोषण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया है। भरण पोषण अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत् खुद की सम्पति से अपना भरण पोषण करने में सक्षम न होंने पर धारा 2 ए के तहत मॉ अपनी सन्तान से जिसमें बेटी भी सम्मिलित है, भरण पोषण भत्ते की मांग कर सकती है। उक्त अधिनियम की धारा 23 में यह भी प्रावधान है कि कोई भी वरष्ठि नागरिक किसी दानपत्र के माध्यम से अपनी किसी सम्पति का दान करती है और उक्त दान प्राप्तकर्ता उसका भरण पोषण नहीं करता है तो उक्त दान पत्र को अवैध व शून्य माना जायेगा। मौजूदा प्रकरण में अप्रार्थिया द्वारा अपनी 50,00,000/– (रूपये पचास लाख) की सम्पति अपनी पुत्री को दान कर प्रार्थीगण पुत्रो से भरण–पोषण की मॉग की गई है जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थिया जो कि प्रार्थीगण की माता है, वह पहले भी उनके पास आराम से रह रही थी, अब वह अपनी पुत्री के बहकावे में आकर जयपुर चली गई और दुर्भावना से ग्रसित होकर षडयन्त्र के तहत प्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाहियॉ कर रही है। प्रार्थीगण अप्रार्थीया को आज भी अपने पास सभी सुख सुविधाओं सहित सम्मानपूर्वक रखने के लिए तैयार व तत्पर है। माननीय न्यायालय के आक्षेपित आदेश के द्वारा 20,000/– रूपये प्रतिमाह अप्रार्थिया को भुगतान किये जाने का आदेश पारित किया गया है। एक विधवा महिला को भरण पोषण हेतु एक माह में इतनी राशि खर्च किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थीगण की बहन द्वारा उक्त राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिट संख्या 30/2017 में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.4.2017 द्वारा अपीलीय न्यायालय में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की स्वतंत्रता दी गई के तहत ही यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो उपरोक्त तथ्यों एवं प्रार्थीगण की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आक्षेपित आदेश का पुनर्विलोकन किया जाकर न्यायहित में उक्त आदेश को अपास्त फरमाते हुए नये सिरे से अपील को गुणावगुण के आधार निर्णित फरमाया जावें।

चूकि वरवक्त सुनवाई अप्रार्थिया उपस्थित नहीं आई। न्यायहित में उनके प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत जवाब में मुख्यतः

जिला कलक्टर
अजमेर

अंकित किया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ प्रार्थीगण द्वारा दो बार माननीय उच्च न्यायालय में अपीले प्रस्तुत की गई जो खारिज की गई। इसके पश्चात उनके द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज फरमाया गया। जवाब में आगे अंकन किया गया कि अप्रार्थिया एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला है ।प्रार्थीगण बेटो द्वारा सारी सम्पति पर कब्जा कर घर से बाहर निकाल दिया। अप्रार्थियां शुगर, बी.पी की मरीज है तथा घुटनो की तकलीफ भी है। अप्रार्थिया अपनी बेटी के पास जयुपर रहती है जो इतनी सक्षम नहीं है कि अप्रार्थिया का पूरा खर्च उठा सके। प्रार्थीगण के पर्याप्त आय का स्त्रोत है, जिसमें अजमेरी गेट, ब्यावर में अप्रार्थिया के पति की दुकान का किराया 18,500/– रूपये प्रति माह प्रार्थी महेन्द्र मेवाडा द्वारा लगातार 5 वर्षो से प्राप्त किया जा रहा है। प्रार्थी0 के तीन–चार शराब की दुकानें एवं बीयर बार है तथा 10–15 मकान है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थिया के पति की सारी दौलत पर कब्जा कर रखा है जबकि अप्रार्थिया एक–एक रूपये के लिए मोहताज हो रही है। मान0 न्यायालय के आदेशानुसार भरण पोषण राशि भी प्रार्थी0 द्वारा अप्रार्थिया के खाते में समय से जमा नहीं करवाई जा रही है। उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

हमने अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अप्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन मनन किया गया। प्रार्थी0 द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों व पारित आक्षेपित आदेश पर समस्त दृष्टिकोण से विवेचन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा ऐसे कोई ठोस नये तथ्य, साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किया जावें। अतः प्रार्थीगण का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.01.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

31/01/18

(गौरव गोयल)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर